

कार्यालय – मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम

क्रमांक:- 559

दिनांक:- 04/03/2024

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 448 दिनांक 21.02.2024 के द्वारा माह मार्च, 2024 में दिनांक 09.03.2024 को राजकीय अवकाश के दिन जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र की सीमा में जयपुर व बस्सी मुख्यालय पर उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्यों (जिनमें जमानत, रिमाण्ड, 164 दं.प्र.सं. के बयान, मृत्युकालिक कथन तथा धारा 176 दं.प्र.सं., 1973 के तहत जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य करने व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे) से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई करने हेतु जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र स्थित न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-6, जयपुर महानगर प्रथम के पीठासीन अधिकारी को अधिकृत किया गया था किन्तु न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-12, जयपुर महानगर प्रथम की पीठासीन अधिकारी सुश्री ऐश्वर्या एस. अग्रवाल, आर.जे.एस. (मो. नं. 94253-06423) को उनकी सहमति के आधार पर उक्त आदेश को इस आदेश की सीमा तक संशोधित करते हुये उक्त दिनांक को राजकीय अवकाश के दिन आवश्यक फौजदारी कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

—sd—
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

क्रमांक:- 560 to 567

दिनांक:- 04/03/2024

- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि यदि सम्बन्धित अधिकारी को उक्त अवकाश दिवस का मुख्यालय परित्याग की अनुमति प्रदान की गई हो तो कृपया उसे निरस्त करने की कृपा करें।
- सहायक निदेशक, अभियोजन, प्रथम, जयपुर महानगर।
- दी बार एसोसियेशन, बनीपार्क, जयपुर।
- महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-6/12, जयपुर महानगर प्रथम।
- पुलिस कण्ट्रोल रूम, जयपुर महानगर को प्रतिलिपि भेज कर लेख है कि समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित किया जावे।
- आदेश पत्रावली/कार्यालय प्रति।
- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश से सम्बन्धित अधिकारीगण/कर्मचारीगण/पुलिस विभाग के अधिकारीगण/समस्त आरक्षी केन्द्र, जयपुर महानगर आदि सभी को ई-मेल/मैसेज के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी के सम्बन्ध में सूचित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
- वरिष्ठ लिपिक, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम।

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम।